



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/4260

दिनांक : 25/11/16

प्रति,

प्राचार्य,
नवसंवत् विधि महाविद्यालय,
उज्जैन।

विषय : विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में निर्मित परिनियम क्रमांक 27 के प्रावधानान्तर्गत अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता प्रदान करने के संबंध में।

संदर्भ :- महाविद्यालय का सम्बद्धता-निरन्तरता आवेदन क्रमांक/43, दिनांक 31.03.2016

शिक्षा सत्र 2016-17 में नवीन संकाय/नवीन विषय/सीट संख्या वृद्धि की जाने/सम्बद्धता-निरन्तरता प्रदान करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा गठित निरीक्षण समिति द्वारा महाविद्यालय का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण समिति से प्राप्त अनुशंसा को विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 27.07.2016 एवं 02.09.2016 में प्रस्तुत किया गया, उक्त बैठकों के निर्णय के अनुसरण में महाविद्यालय को निम्न विवरणानुसार सत्र 2016-17 में शर्तों के अधीन कार्यपरिषद् के अनुमोदन की प्रत्याशा में नितान्त अस्थाई सम्बद्धता-निरन्तरता प्रदान की जाती है :-

क्रं.	पाठ्यक्रम	सीट संख्या
1	एल.एल.बी.	160
2	एल.एल.एम.	100
3	बी.ए.एल.एल.बी.	180
4	बी.बी.ए.	200
5	बी.सी.ए.	180
6	बी.कॉम.	200
7	बी.कॉम.(आनर्स)	120

- शर्तें :-**
1. पुस्तकालय में पाठ्यक्रमानुसार 1000 नवीन पुस्तकें एवं 10 जर्नल्स क्रय कर रखे जायें।
 2. कम्प्यूटर प्रयोगशाला में 10 नवीन कम्प्यूटर्स क्रय कर स्थापित किये जावें।
 3. विश्वविद्यालय के परिनियम क्रमांक 28(3) (1) के अनुसार स्नातकोत्तर स्तर हेतु 10,000/- एवं स्नातक पाठ्यक्रम हेतु रु.1,00,000/- इस प्रकार कुल राशि 1,00,000+10,000= 1,10,000/- (अक्षरी एक लाख दस हजार रुपये मात्र) की इण्डोमेंट फंड की धनराशि की एफ.डी.आर.कुलसचिव, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन एवं प्राचार्य के संयुक्त नाम से बनाकर मूल रसीद विश्वविद्यालय लेखा विभाग में जमा करें। यदि उपरोक्तानुसार एफ.डी.आर.पूर्व में जमा करा दी गई हो तो, रसीद प्रस्तुत करें।

उपरोक्त कमियों की पूर्ति आवश्यक रूप से अतिशिघ्र पूर्ण करें, अन्यथा सम्बद्धता-निरन्तरता पर पुनः विचार किया जावेगा।

Received

आदेशानुसार

कुलसचिव

निरन्तर...02

प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, म.प्र.शासन, भोपाल।
2. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा, उज्जैन संभाग, उज्जैन।
3. निदेशक, महाविद्यालयीन विकास परिषद, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
4. प्राचार्य, संबंधित अग्रणी महाविद्यालय, विक्रम विश्वविद्यालय परिक्षेत्र।
5. उपकुलसचिव/सहायक कुलसचिव, परीक्षा/गोपनीय/लेखा विभाग, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
6. समन्वयक, ऑनलाईन सेल, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
7. कुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।
की ओर सूचनार्थ।

प्रो. इं. चार्ज (अकादमिक)

25/8/16
*



विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता 2016/3230
प्रति,

दिनांक : 19/7/16

प्रो. दीपक मुफ्ता
आचार्य,
प.ज.ने. व्यवसाय प्रबंध संस्थान,
विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन।

प्रति,
प्रो. बी.एल.शर्मा
आचार्य,
शा.माधव विधि महाविद्यालय,
उज्जैन।

विषय :- निरीक्षण समिति द्वारा दी गई अनुशंसा अस्पष्ट होने के संबंध में - नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन।

संदर्भ :- विश्वविद्यालय का पत्र क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता/2016/1875, दिनांक 13.06.2016,

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि, आपके द्वारा नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन में एल.एल.बी., एल.एल.एम., बी.ए. एल.एल.बी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम. एवं बी.कॉम.(आनर्स) पाठ्यक्रम की सत्र 2016-17 में सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने हेतु महाविद्यालय का निरीक्षण दिनांक 13.07.2016 को किया गया था। निरीक्षण उपरान्त आपके द्वारा प्रस्तुत अनुशंसा को विद्यापरिषद् की सहायी समिति की बैठक दिनांक 14.07.2016 में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विम्बानुसार निर्णय लिया गया :-

“नवसंवत् विधि महाविद्यालय, उज्जैन में, संचालित एल.एल.बी., एल.एल.एम., बी.ए.एल.एल.बी., बी.बी.ए., बी.सी.ए., बी.कॉम. एवं बी.कॉम.(आनर्स) पाठ्यक्रमों की सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान किये जाने के संबंध में निरीक्षण समिति द्वारा स्पष्ट अनुशंसा नहीं दी गई है एवं समिति द्वारा चेयरमैन के बगैर निरीक्षण किया गया है। अतः निरीक्षण समिति से स्पष्ट अनुशंसा प्राप्त करने का निर्णय लिया गया।”

उक्त निर्णय के अनुसरण में कृपया स्पष्ट अनुशंसा देने का कष्ट करें, ताकि, महाविद्यालय को सम्बद्धता-निरंतरता प्रदान करने के प्रकरण का निराकरण हो सके।


आदेशानुसार

19/7/16
प्रो. हुंवारज (अकादमिक)

क्रमांक/अकादमिक/सम्बद्धता 2016/3231
प्रतिलिपि :-

दिनांक : 19/7/16

01. कुलपतिजी/कुलसचिवजी के निजी सहायक, विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अधुभाग अधिकारी (अकादमिक)